

Most Important "Terms and Conditions" for Transcorp Prepaid Instruments

1. Definitions:

Semi-Closed Prepaid Instrument (PPIs): PPIs (Card/wallet) are payment instruments that facilitate purchase of goods and services, including financial services etc. against the value stored on such instruments. No cash withdrawal will be allowed from these instruments.

Know your Customer (KYC): The guidelines adopted by the Transcorp to identify the customer and verify the identity of the customer.

Personal Identification Number (PIN): PIN is a numeric password which is part of the kit handed over to customer by the Transcorp while issuing the PPI.

Holder/Customer: Individuals/Organizations who obtain/purchase PPIs from Transcorp and use the same for purchase of goods and services, including financial services, remittance facilities etc. against the value stored on such instruments.

Terms and Conditions for Gift Cards of semi-closed Prepaid Payment Instrument (PPI)

Usage: Such PPIs can only be used for purchasing of goods and services and cannot be used for fund transfer.

Limit: One time amount loaded in such PPIs shall not exceed INR 10,000. It is a non-reloadable instrument.

Loading: These PPI can only be loaded from bank account. Cash loading is not permitted.

Up gradation: Such PPI cards cannot be upgraded to full KYC.

Closure: These PPIs can be closed any time by the holder by making a request to the company. The remaining amount (if any) of PPI will be transferred by the company back to source i.e. the bank account from where the PPI was loaded

Terms and Conditions for reloadable semi-closed Prepaid Payment Instrument (PPI)

KYC Details to be obtained from client for issuance of such PPIs: As decided by company from time to time.

Usage: Such PPIs can only be used for purchasing of goods and services and cannot be used for fund transfer

Limit: The amount loaded in Min. KYC PPIs during any month shall not exceed INR 10,000 and the total amount loaded during the financial year shall not exceed INR 120,000. The amount outstanding at any point of time in such PPIs shall not exceed INR 10,000.

Loading: These PPI can only be loaded from bank account. Cash loading is not permitted.

Up gradation: Min. KYC PPI can be upgraded to full KYC by completing the KYC process prescribed by the company at any time by furnishing the KYC documents. For Full KYC PPI card, outstanding limit will be INR 200,000 lac at any point in time and monthly limit will be as prescribed by the PPI issuer.

Closure: These PPIs can be closed any time by the holder by making a request to the company. The remaining amount (if any) of PPI will be transferred by the company back to source i.e. the bank account from where the PPI was loaded.

2. Obligation of the Prepaid Customer who purchases Prepaid Instrument from the Transcorp:

- a. The customer requesting for issuance of any Transcorp PPI card, hereby confirms and declares his/her disassociation as a PEP (Politically Exposed person).
- b. Prepaid Instrument (PPI) shall be issued to a Customer at the sole discretion of the Transcorp post complying with "Know Your Customer" guidelines.
- c. Transcorp shall levy fees for issuance/usage of the Prepaid Instrument as per Schedule of Charges displayed on Transcorp/Partner/Associate website and available on website "Terms & Conditions".
- d. Transcorp shall issue a PIN to Customer for operating the PPI. The Customer shall take reasonable precaution to prevent misuse of the PIN. The Customer shall be solely responsible for any consequences arising directly or indirectly out of the disclosure of the PIN and/or unauthorized use of PPI as a result of any misuse for want of reasonable care and precaution. The Customer disclaims liability of the Transcorp for any unauthorized use of Prepaid Instrument and for any loss or damage incurred directly or indirectly as a result of such misuse. The liability in case of unauthorized usage will be governed by the Board approved policy of Transcorp applicable on unauthorized usage.
- e. The Customer shall be responsible for safe custody of the Prepaid Instrument. In case of loss or theft of the Prepaid Instrument or misuse of the Instrument, the Customer shall immediately inform any of the branches/contact centre of Transcorp. Customer shall be responsible and liable for all unauthorized transactions till the customer reports the unauthorized transaction to Transcorp. A new Instrument shall be issued to the Customer, in lieu of lost/stolen PPI upon request in writing and payment of applicable fee as per the Schedule of Charges.
- f. The PPI can be used at any permitted transactions depending on the type and features of the PPI. The records of transactions maintained by the Transcorp shall be conclusive and binding for all purpose.
- g. Transcorp shall not pay any interest on the balance outstanding in the Prepaid Instrument at any point in time.

- h. The PPI issued by Transcorp will be valid up to a period of 4 Years (for gift card the validity period will be 1 year from the date of issuance) Transcorp will intimate the Customer through a SMS on the regd. mobile number, 45 days prior to expiry of validity period of the PPI. Customer needs to utilize the balance amount prior to expiry of the instrument. In case Customer does not utilize the balance amount within the validity period, the Customer can approach the Transcorp for refund/transfer of outstanding balance. In case the Customer does not approach the Transcorp within a specified period as prescribed by regulator, the outstanding balance will be transferred to a fund or otherwise in compliance with the regulatory guidelines.
- i. Any claim for compensation made by the customer shall be settled purely as per the provisions of the Customer Grievance Policy of the Transcorp.
3. **Confidentiality:** The Customer hereto shall keep strictly confidential all information including but not limited to that which may be disclosed or confided to it by the other in the course of the performance of the obligations under this “Terms and Conditions”. Neither the Customer nor Transcorp shall disclose the same to any third party without prior approval of the other party. This clause shall survive the termination of PPI issued by Transcorp. The following are the exceptions to this clause: a. information already in public domain; b. such information as is required to be disclosed by the disclosing party under any laws, rules or regulations or pursuant to the order or direction, of any Court, authority, tribunal or forum.
4. **Change in information:** The Customer shall also inform Transcorp/Partner/Associate of any change in the Customers mailing address. Further, the Customer shall also inform Transcorp about any change in the details such as name, telephone number, or mobile number.
5. **Prohibition against assignment:** The functions, rights or obligations under these “Terms and Conditions” shall not be assigned or delegated to any party or person by the Customer without the express prior written consent of Transcorp. Any purported assignment or delegation in contravention of the terms of the “Terms and Conditions” shall be null and void.
6. **Suspension or Termination or Cancellation or discontinuance of the PPI:** Transcorp may, if it is satisfied that it is necessary so to do, at any time and on such conditions as it thinks fit, suspend or deny or terminate the PPI under the following circumstances:
- (i) In the event of the Customer being declared insolvent or in the event Transcorp receives any notice/intimation about the death of the Customer;
- (ii) In the event of the Customer committing breach of any of the terms, conditions, stipulations or its obligations under these “Terms and Conditions”
- (iii) In the event of any restriction imposed on the Customer by an order issued by any regulatory authority or a Court in India or any investigating agency.
7. **Indemnity:** The Customer shall indemnify and keep Transcorp, its directors, officers, employees and agents indemnified of, from and against any cost, expenses, charges, which Transcorp is required to incur or has incurred to defend any such claim, suit, demand, prosecution, proceedings, due to any act of omission or commission, fraud, negligence or default on the part of the Customer as a holder of the PPI.
8. **Force Majeure:** Notwithstanding anything contained herein, Transcorp shall not be liable to the Customer for any harm, loss, damage or injury caused due to causes beyond its control such as tide, storm, cyclone, flood, lightning, earthquake, fire, blast, explosion or any other act of God, war, rebellion, revolution, insurrection, embargo or sanction, blockade, riot, civil commotion, labour action or unrest including strike, lock-out or boycott, interruption or failure of any utility service, enemy action, criminal conspiracy, act of terrorism or vandalism, sabotage, hacking, unanticipated technological or natural interference or intrusion, loss or damage to satellites, loss of satellite linkage or any other data communications linkage, loss of connectivity or any other irresistible force or compulsion.
9. **Service of Notice:** Any notice or communication required to be given under this “Terms and Conditions” shall not be binding unless the same is in writing and shall have been served by hand delivery against acknowledgement or by registered post at the Registered Office address of Transcorp International Limited (in case a notice is to be served to Transcorp) and to address recorded with Transcorp in case notice is to be served to the Customer.
10. **Grievance Redressal:** Any complaint, dispute, grievance would be addressed to Transcorp in accordance with the Transcorp’s Grievance Redressal policy.
11. **Governing Language:** All deeds, documents and writings that may be executed and all correspondence that may be exchanged between the Customer and Transcorp hereto in relation to the subject matter of this “Terms and Conditions” shall be in English language, which shall be the governing language between the Customer and Transcorp hereto.
12. **Governing Law and Jurisdiction:** The use of PPI by the Customer shall be governed in all respects by the laws in force in India. The Customer agrees to submit to the exclusive jurisdiction of the courts in Jaipur. These “Terms and Conditions” shall be subject to Government notifications, any rules, regulations, guidelines and circulars/notices issued by Transcorp and rules, regulations, bye Laws, Operating Instructions and circulars/communiqués/notices issued by the regulator.
13. **Change of “Terms and Conditions”:** Transcorp reserves the right, in its sole and absolute discretion to amend, delete, modify, vary, or supplement any of the “Terms and Conditions” at any time.
14. **Contact Centre details:** In case of any queries, please call 7597182222. You can also write to cards@transcorpint.com. Details can be found on www.transcorpint.com/cards

15. Please refer exhaustive "Terms and Conditions" displayed on website of Transcorp for the latest comprehensive applicable "Terms and Conditions". The customer shall be deemed to have read and understood the exhaustive "Terms and Conditions" while dealing with Transcorp.

Please refer to the exhaustive Terms & Conditions for Transcorp Prepaid cards [https:// Transcorpint.com/termsandconditions/](https://Transcorpint.com/termsandconditions/)

ट्रांसकॉर्प प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण "नियम और शर्तें"

1. परिभाषाएँ:

अर्ध-बंद प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई): पीपीआई (कार्ड / वॉलेट भुगतान साधन हैं जो ऐसे उपकरणों पर संग्रहीत मूल्य के खिलाफ वित्तीय सेवाओं आदि सहित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। इन साधनों से नकद निकासी की अनुमति नहीं होगी।

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी): ग्राहक की पहचान करने और ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए ट्रांसकॉर्प द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देश।

व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन): पिन एक संख्यात्मक पासवर्ड है जो पीपीआई जारी करते समय ट्रांसकॉर्प द्वारा ग्राहक को सौंपी गई किट का हिस्सा है।

धारक/ग्राहक: ऐसे व्यक्ति/संगठन जो ट्रांसकॉर्प से पीपीआई प्राप्त/खरीदते हैं और ऐसे उपकरणों पर संग्रहीत मूल्य के विरुद्ध वित्तीय सेवाओं, प्रेषण सुविधाओं आदि सहित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए इसका उपयोग करते हैं।

अर्ध-बंद प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) के उपहार कार्ड के लिए नियम और शर्तें:-

उपयोग: ऐसे पीपीआई का उपयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग फंड ट्रांसफर के लिए नहीं किया जा सकता है।

सीमा: ऐसे पीपीआई में लोड की गई एकमुश्त राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह नॉन-रीलोडबल इंस्ट्रूमेंट है।

लॉडिंग: इन पीपीआई को केवल बैंक खाते से लोड किया जा सकता है। कैश लॉडिंग की अनुमति नहीं है।

अपग्रेडेशन: ऐसे पीपीआई कार्ड को पूर्ण केवाईसी में अपग्रेड नहीं किया जा सकता है।

समापन: इन पीपीआई को होल्डर द्वारा कंपनी से रिक्स्ट करके किसी भी समय बंद किया जा सकता है। पीपीआई की शेष राशि (यदि कोई हो) कंपनी द्वारा स्रोत पर वापस स्थानांतरित की जाएगी अर्थात् उस बैंक खाते में जहां से पीपीआई लोड किया गया था।

पुनः लोड करने योग्य अर्ध-बंद प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के लिए नियम और शर्तें:-

ऐसे पीपीआई जारी करने के लिए ग्राहक से केवाईसी विवरण प्राप्त करना होगा: जैसा कि समय-समय पर कंपनी द्वारा तय किया जाता है।

उपयोग: ऐसे पीपीआई का उपयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग फंड ट्रांसफर सीमा के लिए नहीं किया जा सकता है

सीमा: किसी भी महीने के दौरान न्यूनतम केवाईसी पीपीआई में लोड की गई राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगी और वित्तीय वर्ष के दौरान लोड की गई कुल राशि 120,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। ऐसे पीपीआई में किसी भी समय बकाया राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लॉडिंग: इन पीपीआई को केवल बैंक खाते से लोड किया जा सकता है। कैश लॉडिंग की अनुमति नहीं है।

उत्पन्न: न्यूनतम केवाईसी पीपीआई को केवाईसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करके किसी भी समय कंपनी द्वारा निर्धारित केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करके पूर्ण केवाईसी में अपग्रेड किया जा सकता है। पूर्ण केवाईसी पीपीआई कार्ड के लिए, बकाया सीमा किसी भी समय 200,000 लाख रुपये होगी और मासिक सीमा पीपीआई जारीकर्ता द्वारा निर्धारित की जाएगी।

समापन: इन पीपीआई को होल्डर द्वारा कंपनी से प्रार्थना करके किसी भी समय बंद किया जा सकता है। पीपीआई की बची हुई राशि (यदि कोई हो) कंपनी द्वारा स्रोत पर वापस स्थानांतरित की जाएगी यानी बैंक खाता जहां से पीपीआई लोड किया गया था।

2. ट्रांसकॉर्प से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदने वाले प्रीपेड ग्राहक का दायित्व:

क. किसी भी ट्रांसकॉर्प पीपीआई कार्ड को जारी करने का अनुरोध करने वाला ग्राहक, इसके द्वारा पीपीआई (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) के रूप में अपने पृथक्करण की पुष्टि करता है और घोषित करता है।

ख. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) "अपने ग्राहक को जानें" दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ट्रांसकॉर्प पोस्ट के विकाधिकार पर ग्राहक को जारी किया जाएगा।

ग. ट्रांसकॉर्प ट्रांसकॉर्प/पार्टनर/एसोसिएट वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रभारों की अनुसूची के अनुसार और वेबसाइट "नियम और शर्तें" पर उपलब्ध प्रभारों की अनुसूची के अनुसार प्रीपेड लिखत को जारी करने/उपयोग करने के लिए शुल्क लगाएगा।

घ. ट्रांसकॉर्प पीपीआई के संचालन के लिए ग्राहक को एक पिन जारी करेगा। ग्राहक पिन के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित सावधानी बरतेगा। ग्राहक पिन के प्रकटीकरण और / या उचित देखभाल और एहतियात के अभाव में किसी भी दुरुपयोग के परिणामस्वरूप पीपीआई के अनधिकृत उपयोग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। ग्राहक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के किसी भी अनधिकृत उपयोग के लिए और इस तरह के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ट्रांसकॉर्प के दायित्व को अस्वीकार करता है। अनधिकृत उपयोग के मामले में दायित्व अनधिकृत उपयोग पर लागू ट्रांसकॉर्प की बोर्ड अनुमोदित नीति द्वारा शासित होगा।

ङ. ग्राहक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के नुकसान या चोरी या इंस्ट्रूमेंट के दुरुपयोग के मामले में, ग्राहक तुरंत ट्रांसकॉर्प की किसी भी शाखा / संपर्क केंद्र को सूचित करेगा। ग्राहक सभी अनधिकृत लेनदेन के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा जब तक कि ग्राहक ट्रांसकॉर्प को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करता है। लिखित अनुरोध पर खोए हुए/चोरी हुए पीपीआई के बदले ग्राहक को एक नया लिखत जारी किया जाएगा और प्रभारों की अनुसूची के अनुसार लागू शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

च. पीपीआई के प्रकार और विशेषताओं के आधार पर पीपीआई का उपयोग किसी भी अनुमत्त लेनदेन पर किया जा सकता है। ट्रांसकॉर्प द्वारा रखे गए लेनदेन के रिक्त निर्णायक और सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी होंगे।

छ. ट्रांसकॉर्प किसी भी समय प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में बकाया शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा।

ज. ट्रांसकॉर्प द्वारा जारी पीपीआई 4 साल की अवधि तक वैध होगा (उपहार कार्ड के लिए वैधता अवधि जारी होने की तारीख से 1 वर्ष होगी) ट्रांसकॉर्प पीपीआई की वैधता अवधि समाप्त होने से 45 दिन पहले, मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के माध्यम से ग्राहक को सूचित करेगा। ग्राहक को साधन की समाप्ति से पहले शेष राशि का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यदि ग्राहक वैधता अवधि के भीतर शेष राशि का उपयोग नहीं करता है, तो ग्राहक बकाया शेष राशि की वापसी / हस्तांतरण के लिए ट्रांसकॉर्प से संपर्क कर सकता है। यदि ग्राहक नियामक द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट अवधि के भीतर ट्रांसकॉर्प से संपर्क नहीं करता है, तो बकाया शेष राशि को नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक फंड में या अन्यथा हस्तांतरित किया जाएगा।

झ. ग्राहक द्वारा किए गए मुआवजे के लिए किसी भी दावे का निपटान विशुद्ध रूप से ट्रांसकॉर्प की ग्राहक शिकायत नीति के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

3 गोपनीयता: यहां ग्राहक सभी सूचनाओं को पूरी तरह से गोपनीय रखेगा, जिसमें इस "नियम और शर्तों" के तहत दायित्वों के प्रदर्शन के दौरान दूसरे द्वारा प्रकट या गोपनीय रखी जा सकने वाली जानकारी शामिल है, लेकिन यह इन्हें तक सीमित नहीं है। दूसरे पक्ष की पूर्वानुमति के बिना न तो ग्राहक और न ही ट्रांसकॉर्प किसी तीसरे पक्ष को इसका खुलासा करेगा। यह खंड ट्रांसकॉर्प द्वारा जारी किए गए पीपीआई की समाप्ति से बचेगा। इस खंड के अपवाद निम्नलिखित हैं

अ. सार्वजनिक डोमेन में पहले से ही जानकारी।

ब. ऐसी जानकारी जो प्रकट करने वाले पक्ष द्वारा किसी भी कानून, नियमों या विनियमों के तहत या किसी न्यायालय, प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल या फोरम के आदेश या निर्देश के अनुसार प्रकट करना आवश्यक है।

4. जानकारी में परिवर्तन: ग्राहक डाक पता में किसी भी बदलाव के बारे में ट्रांसकॉर्प / पार्टनर / एसोसिएट को भी सूचित करेगा। इसके अलावा, ग्राहक ट्रांसकॉर्प को नाम, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर जैसे विवरणों में किसी भी बदलाव के बारे में भी सूचित करेगा।

5. असाइनमेंट के खिलाफ निषेध: इन "नियम और शर्तों" के तहत कार्यों, अधिकारों या दायित्वों को ट्रांसकॉर्प की व्यक्तिगत सहमति के बिना ग्राहक द्वारा किसी भी पार्टी या व्यक्ति को सौंपा या प्रत्ययोजित नहीं किया जाएगा। "नियम और शर्तों" की शर्तों के उल्लंघन में कोई भी कथित असाइनमेंट या प्रतिनिधिमंडल शून्य और शून्य होगा।

6. पीपीआई का निलंबन या समाप्ति या रद्दीकरण या विच्छेदन: ट्रांसकॉर्प, यदि यह संतुष्ट है कि किसी भी समय और ऐसी शर्तों पर ऐसा करना आवश्यक है, जैसा कि वह उचित समझता है, निम्नलिखित परिस्थितियों में पीपीआई को निलंबित या अस्वीकार या समाप्त कर सकता है:-

अ. ग्राहक को दिवाल्या घोषित किए जाने की स्थिति में या ट्रांसकॉर्प को ग्राहक की मृत्यु के बारे में कोई सूचना/सूचना प्राप्त होने की स्थिति में,

ब. ग्राहक द्वारा इन निबंधन और शर्तों के तहत किसी भी नियम, शर्तों, शर्तों या उसके दायित्वों का उल्लंघन करने की स्थिति में,

स. भारत में किसी विनियामक प्राधिकारी या न्यायालय या किसी जांच एजेंसी द्वारा जारी आदेश द्वारा ग्राहक पर लगाए गए किसी प्रतिबंध की स्थिति में।

7. क्षतिपूर्ति: ग्राहक ट्रांसकॉर्प, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को पीपीआई के धारक के रूप में ग्राहक की ओर से चूक या कमीशन, धोखाधड़ी, लापरवाही या डिफॉल्ट के किसी भी कार्य के कारण, किसी भी लागत, व्यय, शुल्क से और उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा, जो ट्रांसकॉर्प को ऐसे किसी भी दावे, सूट, मांग, अभियोजन, कार्यवाही का बचाव करने के लिए आवश्यक है या किया गया है।

8. अप्रत्याशित घटना: इसमें निहित किसी भी चीज के बावजूद, ट्रांसकॉर्प अपने नियंत्रण से परे कारणों जैसे विचार, तूफान, चक्रवात, बाढ़, बिजली, भूकंप, आग, विस्फोट, विस्फोट या ईश्वर के किसी अन्य कार्य, युद्ध, डिग्रेड, प्रतिबंध या मजूरी, नाकाबंदी, दंगा, नागरिक हंगामे के कारण होने वाली किसी भी हानि, हानि, क्षति या चोट के लिए ग्राहक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, हड़ताल, तालाबंदी या बहिष्कार, किसी भी उपयोजिता सेवा में रुकावट या विफलता, दुश्मन की कार्रवाई, आपराधिक साजिश, आतंकवाद या बर्बरता, तोड़फोड़, हैकिंग, अप्रत्याशित तकनीकी या प्राकृतिक हस्तक्षेप या घुसपैठ, उपग्रहों को नुकसान या क्षति, उपग्रह लिंकेज या किसी अन्य डेटा संचार लिंकेज की हानि, कनेक्टिविटी की हानि या किसी अन्य अनूठे बल या मजबूरी सहित श्रम कार्रवाई या अशांति।

9. नोटिस की सेवा: इस "नियम और शर्तों" के तहत दिए जाने वाले किसी भी नोटिस या संचार को बाध्यकारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय पते पर पावती के खिलाफ या पंजीकृत डाक द्वारा हाथ से डिलीवरी द्वारा दिया गया हो (यदि ट्रांसकॉर्प को नोटिस दिया जाना है) और यदि नोटिस दिया जाना है तो ट्रांसकॉर्प के साथ दर्ज पते पर ग्राहक।

10. शिकायत निवारण: किसी भी शिकायत, विवाद, शिकायत को ट्रांसकॉर्प की शिकायत निवारण नीति के अनुसार ट्रांसकॉर्प को संबोधित किया जाएगा।

11. शासी भाषा: सभी कार्य, दस्तावेज और लेखन जिन्हें निष्पादित किया जा सकता है और इस "नियम और शर्तों" की विषय वस्तु के संबंध में ग्राहक और ट्रांसकॉर्प के बीच आदान-प्रदान किए जा सकने वाले सभी पत्राचार अंग्रेजी भाषा में होंगे, जो ग्राहक और ट्रांसकॉर्प के बीच शासी भाषा होगी।

12. शासी कानून और क्षेत्राधिकार: ग्राहक द्वारा पीपीआई का उपयोग भारत में लागू कानूनों द्वारा सभी तरह से नियंत्रित किया जाएगा। ग्राहक जयपुर में न्यायालयों के अन्य क्षेत्राधिकार में जमा करने के लिए सहमत है। ये "नियम और शर्तें" सरकारी अधिसूचनाओं, किसी भी नियम, विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों / ट्रांसकॉर्प द्वारा जारी किए गए नोटिस और नियमों, विनियमों, उप-कानूनों, संचालन निर्देशों और नियामक द्वारा जारी परिपत्रों / विज्ञापित / नोटिस के अधीन होंगे।

13. "नियम और शर्तों" में परिवर्तन: ट्रांसकॉर्प किसी भी समय "नियम और शर्तों" में से किसी को भी संशोधित करने, हटाने, संशोधित करने, बदलने या पुरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14. संपर्क केंद्र विवरण: किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया 7597182222 कॉल करें। आप cards@transcorpint.com को भी लिख सकते हैं। विवरण www.transcorpint.com/cards पर पाया जा सकता है।

15. नवीनतम व्यापक लागू "नियम और शर्तों" के लिए कृपया ट्रांसकॉर्प की वेबसाइट पर प्रदर्शित "नियम और शर्तें" देखें। यह समझा जाएगा कि ग्राहक ने ट्रांसकॉर्प के साथ व्यवहार करते समय संपूर्ण "नियम और शर्तें" पढ़ और समझ ली हैं। कृपया ट्रांसकॉर्प प्रीपेड कार्ड के लिए संपूर्ण "नियम और शर्तें" भी देखें।

<https://transcorpint.com/termsandcondition>.

